

कार्य मंत्रणा समिति
(सत्रहवीं लोक सभा)

बाईसवां प्रतिवेदन
(20.07.2021 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, 19 जुलाई, 2021 को हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए प्रत्येक के सामने दर्शाए गये अनुसार समय के आवंटन की सिफारिश की है:-

- | | | |
|-----|---|--------|
| (1) | भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा एवं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर इसके पुरःस्थापन के पश्चात्, विचार तथा पारित करना – अध्यादेश का स्थान लेने के लिए। | 2 घंटे |
| (2) | भारत के राष्ट्रपति द्वारा 13 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021 पर इसके पुरःस्थापन के पश्चात्, विचार तथा पारित करना – अध्यादेश का स्थान लेने के लिए। | 2 घंटे |
| (3) | भारत के राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 2021 को प्रख्यापित आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा एवं आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 पर इसके पुरःस्थापन के पश्चात्, विचार तथा पारित करना – अध्यादेश का स्थान लेने के लिए। | 3 घंटे |
| (4) | भारत के राष्ट्रपति द्वारा 22 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश 2021 (2021 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021 पर इसके पुरःस्थापन के पश्चात्, विचार तथा पारित करना – अध्यादेश का स्थान लेने के लिए। | 2 घंटे |
| (5) | भारत के राष्ट्रपति द्वारा 16 मई, 2021 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश 2021 (2021 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा एवं होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021 पर इसके पुरःस्थापन के पश्चात्, विचार तथा पारित करना – अध्यादेश का स्थान लेने के लिए। | 2 घंटे |

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| (6) अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021, इसके पुरःस्थापन के पश्चात्

<i>(विचार तथा पारित करना)</i> | □ | 2 घंटे |
| (7) नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा इसे पारित किए जाने के पश्चात्

<i>(विचार तथा पारित करना)</i> | □ | 2 घंटे |
| (8) निम्नलिखित पर चर्चा तथा मतदान:-
(i) 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक माँगों
(ii) 2017-18 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की माँगों | □ | 4 घंटे
[एक साथ लिए जाएंगे] |

नई दिल्ली;
19 जुलाई, 2021
28 आषाढ़, 1943 (शक)

ओम बिरला
सभापति,
कार्य मंत्रणा समिति।